

अशोच ५५ का मय ५५

आयालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

12/7/24

वादी एवं उसके अधिवक्ता
 उपस्थित नहीं हुए कार्यकारण-
 कर जो वाजे दिल्ली गई वादी का
 नाम से कोई उपस्थित नहीं आया।
 सुधवा अदा करना सुमापित करने
 प्राप्त। वादी की विनियमों
 नज की आज्ञा वादी का वाद
 विनियमों के अंतर्गत प्रवृत्ति से बचाव
 दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

